म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल
मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Governmernt of Madhya Pradesh

क्र. 1060 दिनांक 13/10/20

प्रति,

कुलसचिव
आई.ई.एस. विश्वविद्यालय,
भोपाल

विषयः– आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल में शैक्षणिक सत्र 2020–2021 से नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने बावत्।

सन्दर्भः– आपका पत्र कमांक : 86 दिनांक 11/08/2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013,2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन, के आधार पर आयोग की 162वीं बैठक दिनांक 05/10/2020 के एजेण्डा कमांक (162)–9(अ) में लिये गये निर्णय के परिपालन में आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल के शिक्षण विभागों एवं संघटक इकाईयों में शैक्षणिक सत्र – 2020–2021 से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके सम्मुख दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालित करने की अस्थायी अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

S.no.	New Courses	Ord.	Intake
1	M.A, (History	31	60
2	M.A. (Political Science		60
3	M.A. (Hindi)		60
4	M.B.A. (Plain)	21	180
	M.B.A. (Finance)	21	60
	M.B.A. (Marketing)	21	60
5	B.Sc. Biotechnology	25	60
6	M.Com.	23	60
7	M.Design	52	30
8	M.Tech. (Computer Science and Engineering)	14	24
9	M.Tech. (Production)		24
10	M.Tech (Construction Technology and Management		24
11	M.Tech. (Power Systems)		24
12	M.Tech.(VISI Design and Embeded System)		24

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त पाठ्यक्रमों के सम्मुख दर्शित सीट संख्या निम्न शर्तों के अध्याधीन स्वीकृत की जाती है :–

निरंतर–2

13/10/20

1. केन्द्रीय परिषद्/मानक संस्थाओं की स्वीकृति के अनुसार ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए.आई.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडों/मानको के अनुसार आवश्यक सुविधाएँ, अधोसंरचना, उपकरण, पुस्तकें, प्रयोगशाला इत्यादि की उपलब्धता होना चाहिए।
3. यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. के द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार सीट संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति उपर्युक्त की जाना सुनिश्चित किया जाए एवं नियुक्ति शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं आयोग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
4. उपर्युक्त पाठ्यक्रमों । प्रवेशित विद्यार्थियों की अंकसूची एवं अन्य प्रमाण पत्रों का रिकार्ड डिजिटल फार्मेट (NAD) में संधारित करना होगा।
5. भविष्य में प्रारंभ होने वाले पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेशों का प्रकाशन हो चुका है, उन्हें प्रारंभ करने के पूर्व नियमानुसार निरीक्षण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
6. उपरोक्त मापदंडों/शर्तो का पालन नहीं किये जाने की दशा में अथवा किसी प्रकार की कमी/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन स्वमेव उत्तरदायी होगा।

(मान. अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

पृष्ठाकंन कमांक......................../म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल **दिनांकः /10/2020**

1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।
2. गार्ड फाईल।

सचिव